राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

जयपुर दिनांकः 24/04/2018

क्रमांकः एफ 7 (53)(एफसी)परि/नियम/मु./2014/8582

कार्यालय आदेश संख्या ....13...... /2018

वाहन फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम ''फिजा''–2018

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 63 से 73 तक के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के वाहन फिटनेस जांच केन्द्रों के विनियमन एंव नियन्त्रण करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु इस संबंध में जारी पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती हैः–

1. **परिभाषायें:**– इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–
   - I. "अधिनियम" से तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम संख्या 59) से है,
   - II. "फिटनेस जांच केन्द्र" से तात्पर्य इस स्कीम के अधीन परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत केन्द्र से है,
   - III. "फिटनेस प्रमाण पत्र" से तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रत्येक परिवहन यान के लिए अनिवार्य फिटनेस प्रमाण–पत्र (प्रारूप 38) से है।
   - IV. "प्राधिकार पत्र" से तात्पर्य फिटनेस जांच केन्द्र को मोटरयानों के फिटनेस स्तर की जांच के संबंध में प्राधिकृत करने के लिए जारी किये गये प्राधिकार पत्र से है।
   - V. "नियम" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 से है, जब तक कि यथा उल्लेखित न हो।
   - VI. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 63 से 72 के प्रायोजनों के लिए "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो धारा 213 के अधीन स्थापित परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी से है।

2. **निजी फिटनेस जांच केन्द्र हेतु आवेदक की पात्रतायें:**– फिटनेस जांच केन्द्र के रूप में प्राधिकृत कराने हेतु निम्नांकित श्रेणी का कोई संस्थान/व्यक्ति आवेदन कर सकता हैः–
   - I. व्यक्ति/फर्म/भागीदारी फर्म
   - II. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
   - III. वाहन निर्माता कम्पनी,
   - IV. वाहन डीलर्स,
   - V. वाहन रिपेयरिंग का कार्य करने वाले ट्रेड प्रमाण–पत्र धारक बड़े वर्कशॉप/गैराज।

3. फिटनेस जांच केन्द्र की श्रेणियां:– फिटनेस जांच केन्द्रों को निम्नानुसार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है:–

A. हल्के मोटरयानों की जांच हेतु फिटनेस जांच केन्द्र– इन केन्द्रों पर स्थापित की जाने वाली न्यूनतम एक लेन लाइट ड्यूटी लेन (LD Lane) होगी जिस पर हल्के वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किये जाने होगें।

B. भारी मोटरयानों की जांच हेतु फिटनेस जांच केन्द्र– इन केन्द्रों पर स्थापित की जाने वाली न्यूनतम एक लेन हेवी ड्यूटी लेन (HD Lane) होगी जिस पर भारी वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किये जाने होगें।

C. हल्के एवं भारी वाहनों की फिटनेस जांच हेतु स्थापित फिटनेस जांच केन्द्र– इन केन्द्रों पर स्थापित की जाने वाली न्यूनतम एक लेन लाइट ड्यूटी लेन (LD Lane) एवं न्यूनतम एक हेवी ड्यूटी लेन (HD Lane) होगी जिस पर हल्के एवं भारी वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण पृथक–पृथक लेन में स्थापित किये जाने होगें।

D. हल्के एवं भारी वाहनों की फिटनेस जांच हेतु स्थापित कोम्बो लेन फिटनेस जांच केन्द्र– इन केन्द्रों पर स्थापित की जाने वाली कोम्बो लेन होगी जिस पर हल्के एवं भारी वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण एक ही लेन में स्थापित किये जाने होगें।

4. फिटनेस जांच केन्द्र हेतु आवेदन की पात्रतायें:– _फिटनेस जांच केन्द्रों हेतु पात्रता रखने वाले आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रारूप 40 में बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित 4 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ नियम 81 मे विनिर्दिष्ठ समुचित फीस जमा कराने की रसीद एवं नियमानुसार 1,00,000/– रूपये की प्रतिभूति राशि (Security) जमा कराई जाकर साक्ष्य संलग्न किया जायेगा। यह सिक्योरिटी राशि विभाग द्वारा इस हेतु निर्धारित सिक्योरिटी हेड में जमा की जावेगी। इन श्रेणियों में जारी किसी भी प्राधिकार पत्र में किसी भी अन्य श्रेणी का सम्मिलितिकरण किया जाना अनुमत होगा। इस हेतु निर्धारित प्रारूप संख्या 40 में आवेदन के साथ नियम 81 मे विनिर्दिष्ठ समुचित फीस भी पुनः देय होगी।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदन पर विचार करते समय केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 63 के उप नियम (3) में उल्लेखित निम्न प्रावधानों को अनिवार्य रूप से घ्यान में रखेगा:–

a) फिटनेस जांच केन्द्र के आवेदक या उसके स्टाफ के किसी एक सदस्य (जो कि वाहनों की जांच कर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु नियोजित किया गया है) के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होंगी :–

(i) AICTE/प्रावधायिक शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान द्वारा प्रदत्त, ऑटोमोबाईल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा या शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मान्य समकक्ष या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता।

(ii) किसी ऐसे ऑटोमोबाईल वर्कशॉप/केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग या राजकीय उपक्रम में वाहन निरीक्षण/रिपेयर का कम से कम 5 वर्ष की सेवा का अनुभव, जहां भारी माल वाहनों, भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों की मरम्मत/निरीक्षण होता हो। वर्कशॉप/केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग या राजकीय उपक्रम में वाहन निरीक्षण/रिपेयर में कार्य करने का अनुभव तभी मान्य होगा जबकि आवेदक उस वर्कशॉप/राजकीय विभाग/राजकीय उपक्रम में पे–रोल पर नियुक्त रहा हो और उसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।

(iii) मोटरसाईकिल, हल्का मोटरयान, भारी यात्री एवं भार वाहनों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति और कम से कम 5 वर्ष का चालन अनुभव हो।

(iv) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों विशेष कर मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण और मोटर वाहनों के संनिर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण से संबधित अध्यायों का पूर्ण ज्ञान।

b) <u>फिटनेस जांच केन्द्र का परिसर</u>

(i) परिसर की भूमि कम से कम एक एकड़ हो।

(ii) परिसर की एप्रोच रोड न्यूनतम 18 मीटर चौडी हो।

(iii) भूमि या तो आवेदक के स्वयं के नाम पर हो या उसके स्वयं के द्वारा लीज/किराये पर ली गयी हो।

(iv) उक्त परिसर में प्रशासनिक अनुभाग, स्वागत कक्ष और सैनेट्री ब्लॉक एवं टेस्टिंग इक्यूपमेंट की स्थापना करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो।

(v) परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक–पृथक द्वार हो, जिससे वाहन आवागमन बाधित ना हो।

c) फिटनेस जांच केन्द्र पर हल्के एवं भारी वाहनों के निरीक्षण हेतु लेन का निर्धारण निरीक्षण उपकरण की क्षमता (Maximum axle weight, load/force measuring capacity) पर निर्भर होने से निम्न प्रकार से इन्सपेक्शन लेन की स्थापना की जा सकती हैः–

i. फिटनेस जांच केन्द्र संचालक द्वारा हल्के वाहनों के वजन के अनुरूप उपकरण स्थापित किये जाते है तो वह लाइट ड्यूटी लेन होगी जिस पर केवल हल्के वाहनों का निरीक्षण कर हल्के वाहनों को फिटनेस जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

ii. फिटनेस जांच केन्द्र संचालक द्वारा भारी वाहनों के वजन के अनुरूप उपकरण स्थापित किये जाते है तो वह हेवी ड्यूटी लेन होगी जिस पर केवल भारी वाहनों का निरीक्षण कर भारी वाहनों को फिटनेस जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

iii. फिटनेस जांच केन्द्र पर भारी एवं हल्के वाहनों की संयुक्त जांच को एक लेन में करने की दृष्टि से संयुक्त जांच वाले उपकरण एक लेन में स्थापित किये

जाते है तो उसे हल्के एवं भारी वाहनों का निरीक्षण कर हल्के एवं भारी वाहनों को फिटनेस जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

iv. फिटनेस जांच केन्द्र पर लाइट ड्यूटी लेन एवं हेवी ड्यूटी लेन अलग–अलग स्थापित कर लेन के अनुसार निरीक्षण उपकरण स्थापित किये जाते है तो उसे हल्के एवं भारी वाहनों का निरीक्षण कर हल्के एवं भारी वाहनों को फिटनेस जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

d) Inspection lanes में टेस्टिंग इक्यूपमेंट इत्यादि Annexure-A के अनुसार प्रतिस्थापित किये जायेगें जिससे कि वाहन आसानी से गुजर सके।

e) केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 62 के अन्तर्गत निर्धारित जाँचों हेतु उपकरण यथा रोलर ब्रेक टेस्टर, साईड स्लिप टैस्टर, सस्पेन्सन टेस्टर, हैड–लैम्प टैस्टर, स्पीडोमीटर टैस्टर, ज्वाईंट प्ले टेस्टर, व्हील एलाईनर सीसीडी/टॉइबार, इंजन एनालाईजर/स्कैनर, डीजल स्मौक मीटर, गैसलीन एनालाईजार इत्यादि स्थापित किये जायेगें। स्थापित किये जाने वाले उपकरण किस श्रेणी के वाहन का (हल्के/भारी) निरीक्षण करने हेतु सक्षम है बाबत् केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 में निर्धारित एजेन्सी द्वारा जारी उपकरण प्रतिस्थापन (Installation of machinery) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

f) आवेदक के वित्तीय साधन जांच केन्द्र के निरन्तर अनुरक्षण के लिए पर्याप्त होने आवश्यक है जिसके लिए आवेदक को विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न, पैन कार्ड व जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

g) आवेदक अधिनियम, नियम एवं समय–समय पर होने वाले संशोधनों, जारी होने वाले विभागीय दिशा–निर्देशों/आदेशों की जानकारी रखेगा तथा इन नियमों और राज्य के मोटर वाहन नियमों की अद्यतन प्रति संधारित करेगा।

5. <u>प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रियाः–</u>

(i) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पैरा 2 से 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति, फिटनेस जांच केन्द्र में लेन सिस्टम के निर्माण, मशीनरी व उपकरणों की नियमानुसार स्थापना के संबंध में जांच की जावेगी।

(ii) फिटनेस जांच केन्द्रों को Authority Letter जारी करने/नवीनीकरण करने हेतु रजिस्टरिंग ऑथोरिटी परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे। आवेदन प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा मनोनीत परिवहन अधिकारी एवं परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के संयुक्त जांच दल द्वारा फिटनेस जांच केन्द्र का निरीक्षण करवाया जाकर प्रारुप–1 में चैक लिस्ट निरीक्षण टीम द्वारा तैयार कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ रजिस्टरिंग ऑथोरिटी को दी जाएगी।

(iii) अधिकृत फिटनेस जांच केन्द्र सिर्फ वाहन के फिटनेस नवीनीकरण हेतु ही अधिकृत होगें।

6. <u>फिटनेस जांच केन्द्र की कार्य प्रणाली के संबंध में दिशा–निर्देश :–</u> प्राधिकार पत्र के धारक द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 65 मे उल्लेखित समस्त शर्तों

का पालन एवं निम्न विभागीय दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना अनिवार्य रूप से की जायेगीः–

(i) जाँच केन्द्र द्वारा ''वाहन 4.0'' अथवा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर ही फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) नियम 65 (a) के प्रावधानानुसार फिटनेस जांच केन्द्र का संचालक एक ऐसा जिल्दशुदा, रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वाहन के लिए एक पृथक पृष्ठ होगा जिसमें उस वाहन, जिसका फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण हेतु निरीक्षण किया गया है, का रजिस्ट्रीकरण संख्याक, वाहन का मैक–मॉडल, वाहन का इंजन संख्याक, चेसिस संख्याक, चैसिस संख्याक का पेंसिल प्रिंट, वाहन के स्वामी का नाम व पता, वाहन के अनुज्ञा पत्र का ब्यौरा, पूर्व के फिटेनस प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता की अवधि दर्ज की जायेगी और उस पर वाहन के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे।

(iii) नियम 65 (b) के प्रावधानानुसार फिटेनस प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण की जांच के दो दिन के भीतर तथा वाहन 4.0 या उच्चतर मॉड्यूल पर उसी दिन वाहनों का ब्यौरा, जिनके लिए फिटेनस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण हेतु जांच की गयी है, उस परिवहन प्राधिकारी को ई–मेल द्वारा प्रेषित करेगा जिसके अधिकारिता क्षेत्र में फिटेनस जांच केन्द्र स्थित है।

(iv) नियम 65 (c) के प्रावधानानुसार धारा 56 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक परिवहन वाहन के संबंध में नियम 62 के उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर फिटेनस प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु उपकरणों पर की गई जांचों के परिणामों के प्रिन्ट फॉर्म 4.8 पर चस्पा करने होगें।

(v) नियम 65 (d) के प्रावधानानुसार प्राधिकार पत्र में उल्लेखित कार्य स्थान को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बदला जा सकेगा।

(vi) नियम 65 (e) के प्रावधानानुसार फिटनेस जांच केन्द्र के परिसर, अपने द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख, रजिस्टर ,परिसर में सभी मशीनों, उपस्कर और उपकरण रजिस्ट्रीकर्ता या अधिनियम की धारा 213 के अधीन स्थापित राज्य सरकार के परिवहन विभाग के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार/ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, के निरीक्षण के लिए खुला रखेगा तथा निरीक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

(vii) नियम 65 (f) के प्रावधानानुसार अपने मुख्य कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगाः–

(क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा फिटेनस जांच केन्द्र को जारी किया गया मूल प्राधिकार पत्र,

(ख) फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करने के लिए वाहन की जांच कर फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत तकनीकी व्यक्ति का नाम और पता,

(ग) नियम 63 के उप नियम (3) के खण्ड (a) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की अर्हताएं।

(viii) नियम 65 (g) के प्रावधानानुसार फिटनेस प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के प्रयोजन से वाहन की जांच शुल्क व फिटनेस प्रमाण–पत्र (फॉर्म नम्बर 38) जारी करने का शुल्क नियम 81 में विनिर्दिष्ठ समुचित फीस से अधिक फीस वसूल नहीं करेगा।

(ix) नियम 65 (h) के प्रावधानानुसार खण्ड (i) में निर्दिष्ट रजिस्टर के सभी पृष्ठ प्रविष्टियों से भर जाने के बाद और किसी भी हालत में उसके पूरा होने के दो दिन पश्चात उसे जिला परिवहन अधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा जिसे उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है।

(x) फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा वाहन के नवीनतम कर चुकता प्रमाण पत्र के बिना फिटनेस आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xi) वाहनों की जांच के लिए नियम 63 (3) (ए) के प्रावधानानुसार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की जांच केन्द्र पर मौजूद होना आवश्यक है।

(xii) नये परिवहन यानों का फिटेनस जांच तथा फिटेनस प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा नहीं किया जायेगा।

(xiii) फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा वाहनों की फिटनेस हेतु जांच के समय मंजिली वाहनों में मार्गों के वर्गानुसार नगरीय, उपनगरीय एवं ग्रामीण मार्गों के लिए निर्धारित कलर की पुष्टि की जावेगी एवं वाहन निरीक्षण पत्र में इस आशय की रिपोर्ट अंकित की जावेगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय निर्देशानुसार जनहित के नारो का अंकन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक द्वारा वाहनों की जांच एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नियुक्त तकनीकी व्यक्ति (कर्मचारी) को विधिवत् नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा। नियुक्त किये गये तकनीकी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति पर सशपथ सहमति, रू. 50/– के यथा प्रमाणित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दी जायेगी। फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक उक्त कर्मचारी के specimen signature को अनुमोदित करेंगे एवं अनुमोदित specimen signature से अधिकार पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी व संबधित जिला परिवहन अधिकारी को यथा समय सूचित करेंगे।

(xv) फिटनेस जांच के लिए नियुक्त तकनीकी व्यक्ति (कर्मचारी) की अनुपस्थिति/अवकाश अथवा फिटनेस जांच केन्द्र छोड़ने की स्थिति में उसके स्थान पर निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले व्यक्ति (कर्मचारी) की नियुक्ति उपरोक्त बिन्दु संख्या (xiv) के अनुसार की जाकर एवं उसके

specimen signature को भी अनुमोदित करेंगे एवं अनुमोदित specimen signature से अधिकार–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी व संबधित जिला परिवहन अधिकारी को यथा समय सूचित करेगें।

(xvi) वाहनों की जांच के समय यदि कोई कमियां पाई जाती है तो फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक वाहन की पुनः फिटनेस जांच का शुल्क राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.28 में निर्धारित शुल्क ही वसूल करेंगे।

(xvii) फिटनेस प्रमाण–पत्र गुम हो जाने की स्थिति में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र संबधित जिला परिवहन कार्यालय से जारी किया जायेगा।

(xviii) फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक द्वारा प्रतिमाह निरीक्षण किये गये वाहनों की सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में ई–मेल द्वारा आगामी माह की 5 तारीख तक निम्न प्रपत्र में संबधित जिला परिवहन अधिकारी को दी जावेगी:–

क्र. स.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	कर चुकता प्रमाण पत्र की संख्या एवं जारी कर्ता कार्यालय का नाम	कर की वैद्यता	नवीनीकृत फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि

माह के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज, निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 4.8, Visual Inspection report, उपकरणों से प्राप्त परिणाम) एवं सीसीटीवी फुटेज सी.डी. आगामी माह की 5 तारीख तक (अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर) संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के यहां जमा कराना होगा।

(xix) वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन राज्य में स्थापित किसी भी फिटनेस सेंटर पर किया जा सकेगा तथा परिवहन कार्यालय में वाहन की फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। परंतु अगर किसी राजस्व जिले में प्राईवेट फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं हो अथवा बंद कर दिये जाने अथवा निलंबन/निरस्तीकरण की स्थिति में अल्पावधि हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा इस बाबत आदेशित किये जाने पर वाहनों के यांत्रिकी निरीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य परिवहन कार्यालय द्वारा संपादित किया जा सकेगा।

(xx) फिटनेस जांच केन्द्र संचालक द्वारा Visual Inspection Annexure- B में वर्णित चैक लिस्ट के अनुसार एवं यांत्रिक जांच प्रपत्र आर.एस 4.8 के भाग III में वर्णित चैक लिस्ट के अनुसार, वाहन का निरीक्षण/जांच किया जावेगा।

(xxi) वाहन के यांत्रिक एवं Visual Inspection में सही पाये जाने के उपरान्त फॉर्म–38 में फिटनेस प्रमाण–पत्र फिटनेस सेंटर पर नियुक्त तकनीकी कर्मचारी द्वारा ही जारी किया जायेगा।

(xxii) फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा प्रति वाहन 200/— रू. की राशि उक्त केन्द्र के निरीक्षण, पर्यवेक्षण के एवज में परिवहन विभाग को ई—ग्रास के माध्यम से उसी कार्य दिवस में जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राजस्व को वर्णित समय पर विभाग में जमा नहीं कराने अथवा जमा ही नहीं कराने पर संबंधित फिटनेस केन्द्र का निलंबन/निरस्तीकरण/के विरूद्ध अपराधिकर प्रकरण दर्ज कराया जा सकेगा।

7. <u>निजी फिटनेस जांच केन्द्र के नियंत्रण हेतु जांच एवं निर्देशः—</u>

I. फिटनेस जांच केन्द्र की आकस्मिक जांच तीन माह में न्यूनतम एक बार संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एवं छः माह में न्यूनतम एक बार संबंधित अतिरिक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। निरीक्षण के उपरांत निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट Registering Authority को प्रेषित की जायेगी।

II. फिटनेस जांच केन्द्रों पर सीसीटीवी द्वारा लाइव कवरेज की व्यवस्था होगी एवं फिटनेस जांच केन्द्र पर वाहनों की जांच को सीधे देखने हेतु जिला परिवहन कार्यालय में लिंक उपलब्ध करवाया जायेगा।

III. प्रत्येक 2 वर्ष में जाँच केन्द्र की मशीनरी तथा कार्यप्रणाली का 3rd पार्टी ऑडिट केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत उल्लेखित एजेन्सियों से कराया जायेगा। ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्री कर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

IV. फिटनेस जांच केन्द्र परिसर में वाहन का संचालन जांच केन्द्र के प्रशिक्षित ड्राईवर द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए उपयुक्त संख्या में प्रशिक्षित ड्राईवरों को रखा जाना आवश्यक होगा।

V. फिटनेस जांच केन्द्र पर फिटनेस जांच हेतु आने वाले वाहनों को Annexure C के अनुसार वाहन स्वामी/चालक से प्री—इन्स्पेक्सन चैक लिस्ट प्राप्त किया जाना होगा। चैक लिस्ट में दर्ज जानकारी सही होने पर फिटनेस हेतु निरीक्षण के लिए अनुमति का टोकन प्रदान करना होगा।

VI. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 63 एवं 73 के प्रावधानों के उलंघन, मुख्यालय द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले दिशा—निर्देश या फिटनेस जांच केन्द्र विनियम स्कीम 2018 के प्रावधानों का उलंघन या कोई अन्य गम्भीर अनियमितता परिलक्षित होने पर संबंधित रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 69 के तहत प्राधिकार पत्र को निलम्बित/निरस्त/सिक्योरिटी जब्त कर सकेगा।

VII. प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करने से पूर्व संबंधित रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा पूर्व अवधि में समस्त नियमों, दिशा—निर्देशों की पूर्ण पालना की गयी है एवं नवीनीकरण से पूर्व 3rd पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट भी चैक करेगा, तत्पश्चात् ही प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण किया जावेगा।

VIII. फिटनेस जांच केन्द्र पर लगी हुई मशीनों की अपेक्षा अनुसार बिजली बाधित होने की स्थिति में निर्बाध रूप से कार्य संचालन हेतु अपेक्षित क्षमता का जनरेटर सेट लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे की केन्द्र पर स्थापित सभी उपकरणों का संचालन निर्बाध रूप से किया जा सके।

8. निरसन और व्यावृतियां:–

I. इस स्कीम के प्रभावी होने से पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र इस योजना के प्रभावी होने की तिथि से 6 माह के लिए वैध होगें।

II. योजना के प्रभावी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि में वर्तमान में कार्यरत फिटनेस जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र धारी संचालक को इस योजना में वर्णित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। लाईसेंस धारी जांच केन्द्र द्वारा 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस योजना में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति का प्रमाण देना होगा। निर्धारित अवधि में इस योजना में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करने पर ऐसे फिटनेस जांच केन्द्र को जारी प्राधिकार पत्र नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी तथा प्राधिकार पत्र निरस्त होने पर संचालक द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के यहां प्राधिकार पत्र अविलम्ब समर्पित करना होगा। समय–समय पर तकनीकी क्षेत्र के सुधार की प्रक्रिया को लागू करने हेतु परिवहन आयुक्त सभी फिटनेस सेन्टर्स को ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु आदेश दे सकेगें एवं ऐसे समस्त आदेशों को मानने हेतु राज्य में कार्यरत सभी फिटनेस सेंटर बाध्य होगें। इस बाबत् जारी किये जाने वाले समस्त आदेश वाहन फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम "फिजा–2018 के भाग होगें।

III. किसी भी प्रकार के विवाद/संशय की स्थिति में परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अति. मुख्य सचिव

क्रमांक: एफ 7(53)(एफसी) परि/नियम/मु/2014/8583-89 जयपुर दिनांक: 24.04.18

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी कर संग्रंह केन्द्र, राजस्थान।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

प्रारूप–1

नए/नवीनीकरण/सम्मिलितिकरण आवेदन की जांच हेतु चैक लिस्ट

1. फिटनेस जांच केन्द्र का नाम एवं पता --

2. फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक का नाम --

3. वाहन की फिटनेस हेतु जांच करने वाले व्यक्ति का नाम ---------------------------

4. वाहन जांच हेतु अधिकृत व्यक्ति श्री ....के

(i) ऑटो मोबाईल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के विवरण की रिपोर्ट मय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के :–

(ii) भारी माल वाहन, भारी यात्री वाहन, मध्यम वाहन तथा हल्के वाहनों की मरम्मत करने वाले ऑटोमोबाईल वर्कशॉप/ केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग या राजकीय उपक्रम में वाहन निरीक्षण/रिपेयर में न्यूनतम पांच साल की सेवा के अनुभव के विवरण की रिपोर्ट मय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के :

(iii) मोटरसाईकिल, भारी यात्री वाहन तथा भारी माल वाहन चलाने का लाईसेंस न्यूनतम पांच वर्ष का चालन अनुभव के विवरण की रिपोर्ट मय लाईसेंस की सत्यापित प्रति के :–

(iv) मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की सम्पूर्ण जानकारी विशेषकर वाहन पंजीयन तथा वाहन निर्माण, उपकरण तथा रख–रखाव संबंधी अध्याय के संबंध में :– (जांच हेतु अधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति से व्यक्तिशः साक्षात्कार लेने के उपरांत यह टिप्पणी अंकित की जावे कि उस व्यक्ति को उपरोक्त विषय का आवश्यक ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति का नाम भी रिपोर्ट में अंकित किया जावेगा। तत्पश्चात निम्न पर टिक (√) लगावें)

हां/नही

5. (i) फिटनेस जांच केन्द्र परिसर के भूखण्ड की साईज लम्बाई ....मीटर,
चौडाई..............मीटर,
क्षेत्रफल............वर्ग मीटर

(साइट प्लान की प्रति संलग्न की जावे।)

(ii) भूखण्ड परिसर आवेदक के नाम रजिस्टर्ड अथवा किराये/लीज पर लिया गया है, की स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जावे तथा साक्ष्य के रूप में रजिस्ट्री एवं किरायेनामे/लीज की प्रति भी संलग्न किये जावे।

____

(iii) फिटनेस जांच केन्द्र की एप्रोच रोड न्यूनतम 18 मीटर चौडी है– हां/नहीं

6. फिटनेस जांच केन्द्र परिसर में प्रशासनिक अनुभाग, स्वागत कक्ष एवं सेनैट्री ब्लाक के स्तरीय निर्माण की रिपोर्ट अंकित की जावे एवं साक्ष्य के रूप में भीतरी व बाहरी परिदृश्य (Structure) की प्रमाणित फोटो संलग्न करें।

7. टेस्टिंग स्टेशन में वाहन की जांच हेतु किस श्रेणी के वाहन हेतु Inspection Lane का निर्माण किया हुआ है, की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की जावे एवं तत्पश्चात निम्न श्रेणियों को टिक (√) किया जावे।

हल्के वाहन/भारी वाहन/हल्के व भारी दोनों श्रेणी के वाहन

(फोटो संलग्न करे)

फोटो चिपकाएं

8. वाहनों की जांच हेतु जांच स्टेशन द्वारा स्थापित किये गये Equipment and Apparatus का विवरण :–

<u>Common equipments</u>

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं. व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	कम्प्यूटर प्रिंटर सहित				
2.	फी व्हील ट्रोली				
3.	केलिब्रेशन इक्विपमेन्ट सेट				
4.	ऑटोमेटिक टाइप प्रेशर फिल्टर एण्ड इहन्डकेटर				
5.	डिजिटल कैमरा ऑनलाईन कनेक्टिविटी सहित				
6.	सर्वर, सीसीटीवी, ऑडियोपेजिंग, लेन नेटवर्क				
7.	टूल सैट				
8.	एयर कम्प्रेसर				
9.	जनरैटर				

<u>Light Motor Vehicle Lane</u>

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं. व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	रोलर ब्रेक टैस्टर				
2.	साईड स्लिप टैस्टर				
3.	सस्पैन्सन टैस्टर				
4.	हैड–लैम्प टैस्टर				
5.	स्पीडोमीटर टेस्टर				
6.	जॉईन्ट प्ले टेस्टर				
7.	व्हील एलाईनर सीसीडी / टॉईबार				
8.	इंजन एनालाईजर / स्कैनर				
9.	डीजल स्मोक मीटर (ओपेसिटी मीटर)				
10.	गैसोलीन एनालाईजर (4 गैस एनालाईजर)				

Heavy Motor Vehicle Lane

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं. व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	रोलर ब्रेक टैस्टर				
2.	साईड स्लिप टैस्टर				
3.	जॉईन्ट प्ले टेस्टर				
4.	हैड–लैम्प टैस्टर				
5.	स्पीडोमीटर टेस्टर				
6.	व्हील एलाईनर सीसीडी / टॉईबार				
7.	इंजन एनालाईजर / स्कैनर				
8.	डीजल स्मोक मीटर (ओपेसिटी मीटर)				
9.	गैसोलीन एनालाईजर (4 गैस एनालाईजर)				

Light & Heavy Motor Vehicle Lane

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं. व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	रोलर ब्रेक टैस्टर				
2.	साईड स्लिप टैस्टर				
3.	सस्पैन्सन टैस्टर				
4.	हैड–लैम्प टैस्टर				
5.	स्पीडोमीटर टेस्टर				
6.	जॉईन्ट प्ले टेस्टर				
7.	व्हील एलाईनर सीसीडी / टॉईबार				
8.	इंजन एनालाईजर / स्कैनर				
9.	डीजल स्मोक मीटर (ओपेसिटी मीटर)				
10.	गैसोलीन एनालाईजर (4 गैस एनालाईजर)				

9. विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न, पैन कार्ड व जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण साक्ष्य के रूप में आयकर रिटर्न, पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमांण पत्र की प्रति संलग्न की जावें।

10. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 126 में निर्धारित एजेन्सी द्वारा उपकरण प्रतिस्थापन (Installation of machinary) के संबंध में थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा चुका है। हां/नहीं

(यदि हां तो ऑडिट की प्रति संलग्न करे।)

....

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(फिटनेस जांच केन्द्र का नाम) का आज दिनांक ....को निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में जांच केन्द्र पर समस्त उपकरण स्थापित होकर कार्यरत पाये गये है। सभी उपकरणों का कैलीबरेशन किया जा चुका है। इस केन्द्र द्वारा फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम ''फिजा''–2018 योजना के समस्त प्रावधानों की पालना ....(हां/नही) की जा रही है।

अनुशंसा

....(फिटनेस जांच केन्द्र का नाम) का आज दिनांक .... को निरीक्षण उपरांत जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र को..........................(स्वीकृत करने/नवीनीकरण करने/सम्मिलितिकरण करने/स्वीकृत नहीं करने/ नवीनीकरण नहीं करने/ सम्मिलितिकरण नहीं करने) की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

1–

2–

3–

मशीनों के जांच करने वाले
परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक

हस्ताक्षर

जिला परिवहन अधिकारी

हस्ताक्षर

प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक
परिवहन अधिकारी
जिला......................

नोटः–

(i) मशीनों के फोटोग्राफ प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जावे।

(ii) परियोजना अनुसार ही टेस्टिंग इक्यूपमेंट इत्यादि ऐसे ढंग से प्रतिस्थापित किये जाये कि वाहन आसानी से गुजर सके।

(iii) मशीनों की जांच तकनीकी योग्यताधारी मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक से करवाई जावे।

(iv) उपकरणों की जांच बाबत एजेन्सी का प्रतिस्थापन प्रमाण–पत्र (Installation of machinery) की प्रतियां संलग्न की जावें।

(iv) लेन में स्थापित टेस्टिंग इक्यूपमेंट इस क्रम में लगाये गये है, का उल्लेख बिन्दु संख्या 7 में किया जावें एवं इसका नजरी नक्शा भी संलग्न किया जावे।